न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 84/2021 दायर दिनाँक 15.04.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुमेर सिंह राठौड़ पुत्र स्व0 रामलाल राठौड़ उर्फ रामसिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 35 वर्ष निवासी बांसा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

1. श्री मोहम्मद रफीक वकील वादी

दिनाँक 30.09.2021

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी का पैत्रक गांव बांसा तहसील डीडवाना है जहां पर प्रार्थी की पैत्रक काश्त की जायगा खेत खसरा सं0 666 रकबा 0.13 हैक्टे0, खसरा सं0 667 रकबा 3.13 हैक्टे0 कुल रकबा 3.44 हैक्टे0 ग्राम बांसा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निमोद तहसील डीडवाना में अवस्थित है। जिसकी वर्तमान खातेदारी प्रार्थी के पिता राम सिंह, राजेन्द्र सिंह पिता बोदुराम, विमला, ग्यारसी पुत्रियां बोदुराम कौम दरोगा सा0 देह खातेदार के नाम से है।

यह है कि प्रार्थी के पिता राजकीय सेवा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ वर्कर के पद पर अजमेर में कार्यरत थे। जिससे प्रार्थी का परिवार अजमेर में ही निवास करने लग गया। प्रार्थी के पिता त्यौहार व अन्य अवसर पर अपने पैत्रक ग्राम बांसा आया जाया करते थे। तथा अने पैत्रक उक्त काश्त की सार सम्भाल भी किया करते थें।

यह है कि प्रार्थी के पिता रामलाल उर्फ रामसिंह पिता बोदुराम नि0 बांसा का देहान्त दिनांक 15.10.2020 को अजमेर स्थित रहवास पर हो गया। जिससे प्रार्थी ने अपने पैत्रक काश्त की जायगा का नामान्तरण रामलाल राठौड़ के विधिक वारिसानों के भवाने के लिये हल्का पटवारी बांसा से सम्पर्क किया व खसरा नम्बर 666, 667 की खतौनी की नकल दिनांक 07.04.2021 प्राप्त की तब उसे ज्ञात हुआ की राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रामसिंह पिता बोदुराम दर्ज है। जबकि प्रार्थी के पिता सही व वास्तविक नाम रामलाल राठौड़ है, प्रार्थी के पिता के सभी दस्तावेजों में यथा पेंशन भुगतान आदेश, बैक बचत खाता पास बुक, आयकर विभाग द्वारा स्थायी लेखा संख्या कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड, राशन [illegible] के पिता का नाम रामलाल राठौड़ दर्ज है तथा प्रार्थी [illegible] मृत्यु [illegible]ण–पत्र रामलाल राठौड़ के नाम से जारी किया हुआ है। [illegible] नाम पिता रामलाल राठौड़ का [illegible] रेकर्ड में इन्द्राज का से भरने का निवेदन किया [illegible] दिया। हवाला देते हुये फौतगी नामान्तरण करने से इन्कार [illegible] दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:56:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना प्रार्थी इस प्रकार है कि –

यह है कि प्रार्थी के पैत्रृक काश्त की जायगा खसरा सं0 666, 667 पटवार क्षैत्र बांसा भू–अभिलेख क्षैत्र निमोद तहसील डीडवाना के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता रामसिंह का नाम दुरूस्त किया जाकर रामलाल राठौड़ किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। सरपंच बांसा की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो सामिल मिसल है।

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। सरपंच बांसा की रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 666, 667 में खातेदार का नाम रामसिंह पुत्र बोदुराम के स्थान पर रामलाल राठौड़ पुत्र बोदुराम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद बांसा में सरपंच बांसा की रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 666, 667 में खातेदार का नाम रामसिंह पुत्र बोदुराम के स्थान पर रामलाल राठौड़ पुत्र बोदुराम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **30.09.2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:56:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 84/2021 दायर दिनाँक 15.04.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुमेर सिंह राठौड़ पुत्र स्व0 रामलाल राठौड़ उर्फ रामसिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 35 वर्ष निवासी बांसा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 30.09.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद रफीक वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद बांसा में सरपंच बांसा की रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 666, 667 में खातेदार का नाम रामसिंह पुत्र बोदुराम के स्थान पर रामलाल राठौड़ पुत्र बोदुराम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 30.09.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो के फरीक ने किया, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:56:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner